न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 123/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 20.02.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार
2. भंवरलाल
3. राजेन्द्र
   पिसरान माणकचंद जाति अहीर
4. प्रेम बाई पत्नी स्व0 माणकचंद, जाति अहीर, निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा, कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जैन, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.04.2025

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश (उपनिवेशन) (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के निर्णय दिनांक 28.10.1985 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश (उपनिवेशन) (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के निर्णय दिनांक 28.10.1985 से ग्राम ख्यावदा, तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 67 की रकबा 5 बीघा आराजी का आवंटी माणकचंद को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पिता एवं पति स्व0 माणकचंद को किया गया आवंटन बाबत् आराजी ग्राम ख्यावदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा सं0 67 की रकबा 5 बीघा को निरस्त करने में त्रुटि की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो माणकचंद को किश्त जमा कराने का नोटिस दिया और न कभी आवंटन निरस्त करने के पूर्व ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। माणकचंद को उक्त भूमि कीमतन विक्रय की गई थी और ऐसे विक्रय को निरस्त नहीं किया जा सकता है। बल्कि आवंटी से किश्त की राशि ही मयब्याज के वसूल की जा सकती है। माणकचंद जी का स्वर्गवास दिनांक 11.07.1983 को हो चुका है और अपीलार्थीगण माणकचंद जी के वारिसान है, जिन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी बकाया राशि मयब्याज के अदा करने को तत्पर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.1985 निरस्त फरमाया जावे तथा आवंटन बहाल रखा जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो माणकचंद को किश्त जमा कराने का नोटिस दिया और न कभी आवंटन निरस्त करने के पूर्व ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी बकाया राशि मयब्याज के अदा करने को तत्पर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.1985 निरस्त फरमाया जावे तथा आवंटन बहाल रखा जावे।

4. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया तथा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश किये जाने पर अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश (उपनिवेशन) (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के निर्णय दिनांक 28.10.1985 से ग्राम ख्यावदा, तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 67 की रकबा 5 बीघा आराजी का आवंटी माणकचंद को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो माणकचंद को किश्त जमा कराने का नोटिस दिया और न कभी आवंटन निरस्त करने के पूर्व ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी बकाया राशि मयब्याज के अदा करने को तत्पर है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वर्ष 1985 का है एवं अपील दायर 2010 में की गई है, जो असाधारण विलम्ब है, जिस बाबत् कोई संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया। अतः डिले कण्डोन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। साथ ही गुणावगुण पर विचार करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि मूल आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की ना तो राशि जमा कराई गई ना ही दखल लिया गया। राशि जमा कराने बाबत दिये नोटिस की प्रतियां भी संलग्न पत्रावली होने से राशि जमा बाबत सूचना नहीं होने का का तथ्य असत्य प्रकट होता है। अतः प्रकरण मियाद बाहर होने एवं आवंटी का कब्जा नहीं होने, नोटिसों के बावजूद राशि जमा नहीं कराने के कारण अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा